मध्यप्रदेश शासन,

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 29-05-2000

//आदेश//

क्रमांक एफ-7/22/93/10-3 राज्य शासन एतद द्वारा निस्तार नीति के तहत करेत्तर राजस्व में वृद्धि के उपाय के अन्तर्गत निस्तारी बांस एवं बसोड़ी बांस की दरों में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

1. ग्रामीणों हेतु रूपये 2.00 प्रति नग बांस ।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में बसोड़ी हेतु रूपये 3.00 प्रति नग बांस ।
3. शहरी क्षेत्रों में बसोड़ों हेतु रूपये 4.00 प्रति नग बांस ।

रायल्टी में वास्तविक विदोहन व्यय जोड़कर दर निर्धारित की जाए ।

2/ बसोड़ों के अतिरिक्त बांस उन व्यक्तियों को भी प्रदाय किया जाय जो परम्परागत रूप से बांस का सामान बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान एवं प्रमाणीकरण का कार्य संबंधित पंचायतों/नगर पंचायतों/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(जी.ए. किन्हल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

पृ.क्र.एफ-7/22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 29 मई 2000

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन विभाग, भोपाल
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
6. समस्त वन संरक्षक, वृत्त मध्यप्रदेश
7. समस्त वनमंडलाधिकारी, वन मंडल म0प्र0
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0
9. समस्त प्रशासन नगर निगम/नगर पालिका, म0प्र0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2000

//आदेश//

क्रमांक एफ-7/22/93/10-3 राज्य शासन एतद द्वारा निस्तार नीति के तहत करेत्तर राजस्व में वृद्धि के उपाय के अन्तर्गत निस्तारी बांस एवं बसोड़ी बांस की दरों में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

1. ग्रामीणों हेतु रूपये 2.00 प्रति नग बांस ।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में बसोड़ी हेतु रूपये 3.00 प्रति नग बांस ।
3. शहरी क्षेत्रों में बसोड़ों हेतु रूपये 4.00 प्रति नग बांस ।

रायल्टी में वास्तविक विदोहन व्यय जोड़कर दर निर्धारित की जाए ।

2/ बसोड़ों के अतिरिक्त बांस उन व्यक्तियों को भी प्रदाय किया जाय जो परम्परागत रूप से बांस का सामान बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान एवं प्रमाणीकरण का कार्य संबंधित पंचायतों/नगर पंचायतों/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जी.ए. किन्हल)

अपर सचिव